N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0021 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/01/2025 20:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/01/2025 20:08:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 58 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA BHINAY JILA AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURESH CHAND

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOPAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON BARAL II, POLICE THANA VAJAYNAGAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON BARAL II, POLICE THANA VAJAYNAGAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ARJUN LAL		पिता:KALYAN SAHAY	1. DANGARWARA KHURD,POST LANGRIYAWAS,JAIPUR
2	VIKARAM SHARMA		पिता:BHANWAR LAL SHARMA	1. TALANA POST SOPRI,AJMER,RAJASTHAN,IND

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। विषयः- पुलिस थाना भिनाय के सिपाही द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम सुरेश चन्द है। मैं बरल द्वितिय तहसील मसूदा जिला ब्यावर का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा परमेश्वर मेवाडा, त्रिलोक, दीपक निवासीगण भिनाय क्षैत्र को काम करने हेतु मस्कद(ओमान) भेजा था। इन लोगों के परिवार वालों ने मेरे विरूद्ध पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट की। पुलिस थाना भिनाय के सिपाही दिनांक 14.12.2024 को सुबह 10-11 बजे के बीच मुझे मेरी होटल मातेश्वरी बिजयनगर से थाने भिनाय ले गए तथा मुझे इन तीनों लडकों को वापस बुलाने के लिए कहां, तो मैंने इन तीनों लडकों को मस्कद(ओमान) से वापस बुला लिया। उन तीनो लडकों के वापस भारत आने पर इनके परिजनों ने लिख कर दे दिया कि हम कार्यवाही नहीं चाहते मेरे भी एक कागज पर साईन करवाए। सारी लिखापढी पुलिस थाना भिनाय के सिपाही अर्जुन ने करवायी। अगले दिन दोपहर में मुझे थाने से छोड दिया। उस समय अर्जुन ने मुझे 10,000 रूपये मांगे। मेरे पास 3,000 रूपये ही थे। मजबूरी में मैंने उन्हें 3000 का कहा तो उसने सामने ई-मित्र की दुकान वालों को(जो की थाने के ठीक सामने है) को 3000 रूपये देने का कहा व मेरे हाथ में पहनी हुई अंगुठी को देखकर कहा कि ये मुझे देकर जा, 4,000 देकर जाना और अंगुठी लेकर जाना। तत्पश्चात् इस बात में मैनें हामी भरी दी और अर्जुन ने मेरी अंगुठी भी ई-मित्र वालो को दिलवायी। अब अर्जुन मेरे से अंगुठी के बदले 4,000 रूपये की मांग कर रहा है। वह यह कह रहा 4,000 रूपये देकर जाओ और अंगुठी ले जाओं। अर्जुन मुझे लगातार फोन कर रहा है। मैं अर्जुन, कानिस्टेबल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कृपया कार्यवाही करे। दिनांकः- 18.12.2024 प्रार्थी एसडी (सुरेशचन्द) पुत्र श्री गोपाल निवासी गुर्जर मोहल्ला बरल2, तहसील मसूदा, बरल-2, अजमेर मो.नं. [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 18.12.2024 समयः- 0330 पीएम श्री भागचन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री रूप सिंह, पुलिस उप अधीक्षक को अपने कार्यालय में बुलाया व आपस में परिचय कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री सुरेश चन्द से कराया व सुरेश चन्द द्वारा पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश अंकित कर श्री सुरेश चन्द द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट मय उसके आधार कार्ड की फोटोप्रति पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द की। पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेश चन्द को अपने कार्यालय कक्ष में ले जाकर व उसका पूरा परिचय पूछा तो श्री सुरेशचन्द तेली पुत्र श्री गोपाल गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी गुर्जर मोहल्ला बरल-2, तहसील मसूदा, जिला अजमेर मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया व लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखना बताया। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश चन्द की हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया। दरियाफ्त पर श्री सुरेश चन्द ने बताया कि मेरे द्वारा परमेश्वर मेवाडा, त्रिलोक, दीपक निवासीगण भिनाय क्षैत्र को काम करने हेतु मस्कद(ओमान) भेजा था। इन लोगों के परिवार वालों ने मेरे विरूद्ध पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट कर दी। पुलिस थाना भिनाय के सिपाही श्री अर्जुन दिनांक 14.12.2024 को सुबह 10-11 बजे के बीच मुझे मेरी होटल मातेश्वरी बिजयनगर से थाने भिनाय ले गए तथा मुझे इन तीनों लडकों को वापस बुलाने के लिए कहां, तो मैंने इन तीनों लडकों को मस्कद(ओमान) से वापस बुला लिया। उन तीनो लडकों के वापस भारत आने पर इनके परिजनों ने लिख कर दे दिया कि हम आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। उसने मेरे भी एक कागज पर साईन करवाए। सारी लिखापढी पुलिस थाना भिनाय के सिपाही अर्जुन ने करवायी थी। अगले दिन दोपहर में मुझे थाने से छोड दिया। उस समय अर्जुन ने मुझसे 10,000 रूपये मांगे। मेरे पास 3,000 रूपये ही थे। मजबूरी में मैंने उन्हें 3000 का कहा तो उसने सामने ई-मित्र की दुकान पर 3000 रूपये व मेरे हाथ में पहनी हुई अंगुठी को देखकर कहा कि ये मुझे देकर जा, 4,000 रूपये देकर जाना और अंगुठी लेकर जाना। तत्पश्चात् इस बात में मैनें हामी भर दी और अर्जुन ने मेरी अंगुठी भी ई-मित्र वाले को दिलवायी। अब अर्जुन मेरे से अंगुठी के बदले 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। वह यह कह रहा 4,000 रूपये देकर जाओ और अंगुठी ले जाओं। अर्जुन मुझे लगातार फोन कर रहा है। मैं अर्जुन, कानिस्टेबल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मुझे अर्जुन के मोबाईल नंबर आज याद नहीं । मेरी अर्जुन से कोई दुश्मनी नहीं है तथा हमारा कोई लेनदेन भी बकाया नहीं है। ई मित्र वाले का नाम मुझे विक्रम होना बताया। परिवादी श्री सुरेश चन्द की रिपोर्ट व दरियाफ्ति से मामला लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) की परिधि में होना पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाना आवश्यक होने से कानि0 श्री रविन्द्र सिंह 308 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री सुरेश चन्द से करवाया जाकर दोनो के मोबाईल नंबरो को आदान प्रदान किया गया व कार्यालय में रखे डिजीटल वॉयस

रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया दोनो को भली भांति समझाई गई। परिवादी ने बताया कि आज शाम का वक्त हो चुका है, भिनाय पहूंचने पर रात्रि हो जाएगी। अतः कल दिनांक 19.12.2024 को श्री रविन्द्र सिंह को परिवादी से मिलने हेतु उसके कहेनुसार बान्दरवाडा भेजना तय किया तथा परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 19.01.2025 को श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नए मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेश चन्द से संपर्क करने हेतु रवाना किया। बाद सत्यापन श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि "मैं कार्यालय से रवाना होकर बान्दनवाडा पहुंचकर परिवादी से मिला तथा परिवादी की कार से रवाना होकर भिनाय पहुंचे तथा वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना भिनाय के लिए रवाना किया तथा मैं पुलिस थाना भिनाय से थोडी दूरी पर गोपनीय रूप से खडा रहकर परिवादी का इन्तजार किया। बाद वार्ता परिवादी श्री सुरेश चन्द मेरे पास वापस आया। मैने उंससे डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विचऑफ कर अपने पास रखा। श्री सुरेश चन्द ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना भिनाय पहूंचा, जहां थाने के बाहर पुलिसकर्मी श्री अर्जुन मिला। उसने बातचीत के दौरान मुझसे 4000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 2000 रूपये रिश्वत राशि थाने के सामने स्थित श्री विक्रम ई मित्र वाले को दिलाई तथा शेष 2000 रूपये देने पर मेरी अंगुठी देने के लिए कहा। मैंने श्री अर्जुन के कहेनुसार 2000 रूपये उसके मित्र श्री विक्रम ई मित्र वाले को दिए तथा वहां से रवाना होकर आया हू। मैं व परिवादी वहां से रवाना होकर उसकी गाडी से बान्दरवाडा पहूंचे। वहां परिवादी को रिश्वत में दी जाने राशि 2000 रूपये लेकर आने के बारे में कहा तो वहां परिवादी ने बताया कि अभी कुछ दिन मेरे होटल का आवश्यक काम है। इसलिए कुछ दिनां बाद मैं स्वयं रिश्वत में दी जाने वाले 2000 रूपये राशि लेकर आपके कार्यालय में स्वतः आ जाउंगा। परिवादी को उसके कहेनुसार रूखसत कर मैं आया हू।" पुलिस उप अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि की मांग करना व लेना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 23.12.2024 को परिवादी उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री रविन्द्र सिंह द्वारा बताई बातो की ताईद की तथा होटल के काम से बाहर जाना बताते हुए आकर कार्यवाही करने हेतु बताया। इस पर परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 09.01.2025 को परिवादी को फोन स्वीच ऑफ आया तथा जानकारी मिली है कि श्री सुरेश चन्द अपनी बीमार पुत्री का ईलाज कराने जोधपुर की तरफ गया है। दिनांक 14.01.2025 को श्री रूपसिंह उप अधीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण उदयपुर रेंज होने से समस्त कार्यवाही की पत्रावली मय मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को प्राप्त हुये। दिनांक 28.01.2025 को श्री रवीन्द्र सिंह कानि0 ने मुझे बताया कि परिवादी श्री सुरेश चंद रिश्वत मे दी जाने वाली राशि लेकर आज उपस्थित हो जायेगा। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेश चन्द उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ तथा बताया कि पुर्व में मै पुलिस थाना विजय नगर में किसी अन्य प्रकरण में गिरफतार होकर जैल में था। अभी मेरी जमानत हो गई है। मेरे पुर्व में दिये गये कानि अर्जुन के खिलाफ शिकायत के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करके मेरी अगुठी वापिस लेना चाहता हु। परिवादी ने बताया की आज में रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आया हु। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही हेतु तलबशुदा गवाह श्री राजेन्द्र महावर सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुनिल कुमार भु अभिलेख निरीक्षक उपस्थित आये। दोनो गवाहान का परिवादी से आपस मे परिचय कराया तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुनाये गये। दोनो गवाहान से कार्यवाही स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। मन् निरीक्षक पुलिस के कहने पर परिवादी श्री सुरेश चंद ने गवाहान के समक्ष रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 04 नोट, कुल 2000 रूपये (दो हजार रूपये) प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटो पर मुद्रित नम्बरो को फर्द में अंकित करवाया गया। तत्तपश्चात कार्यालय के श्री किरण कुमार सेन वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवायी जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त नोटो के दोनों ओर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री सुरेश चन्द तेली की जामा तलाशी गवाह श्री राजेन्द्र से लिवाई जाकर नोटो को श्री किरण कुमार सेन वरिष्ठ लिपिक से परिवादी श्री सुरेश चन्द तेली की पहनी हुए पायजामे की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाई गई तथा एक प्लास्टिक के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें श्री किरण कुमार की अंगुलियो एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दृष्टांत देकर फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर बताया। उक्त गुलाबी घोल को श्री किरण कुमार सेन वरिष्ठ लिपिक से फिकवाया एवं अखबार पर व पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास को नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः श्री किरण कुमार सेन वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय की अलमारी में रखवायी गई। रिश्वती राशि दे देने के बाद अपने मोबाईल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस/श्री रविन्द्र सिंह कानि के मोबाईल फोन पर कॉल करके/मिस कॉल कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने हेतु परिवादी को बताया गया तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। फर्द दष्टान्त फिनोपथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने श्री अर्जुन की जानकारी की तो कानि श्री अर्जुन थाने पर उपस्थित नही होने से ट्रेप कार्यवाही अभी कि जाना संभव नही है। अतः आरोपी को देने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री सुरेश चन्द की पहने हुये पायजामे से गवाह श्री राजेन्द्र से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डालकर मन

निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गयी। तत्पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉयस रिकार्डर मय मूल मेमोरी कार्ड के लेपटॉप की सहायत से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। चार पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एम.डी. अंकित किया। तीन पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया। परिवादी को दिनांक 29.01.2025 को बान्दनवाड़ा उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 29.01.2025 को प्रातः मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री रामचन्द्र सउनि, श्री युवराज सिंह सउनि, स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र महावर मय रिश्वत राशि सफेद लिफाफे में, श्री सुनिल कुमार विडियोग्राफर श्री दिनेश फतनानी के एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री राजुराम कानि0 के प्राईवेट वाहनो से कार्यालय हाजा से रवाना होकर बान्दनवाडा पहुचे, जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेश चंद उपस्थित मिला तथा बताया कि श्री अर्जुन कानि0 अभी थाने पर ही है। परिवादी श्री सुरेश चंद को गवाह श्री राजेन्द्र महावर से रिश्वत राशि का लिफाफा सुपुर्द करवाया। लिफाफा में से रिश्वत राशि निकालकर परिवादी ने अपने पहने हुए कुर्ते की उपर की बांयी जेब में रखे तथा परिवादी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री सुरेश को उसकी मोटर साईकिल से एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बान्दनवाडा से रवाना होकर पुलिस थाना भिनाय से कुछ पहले पहुचे तथा श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड चालु कर परिवादी श्री सुरेश चंद को सुपुर्द करवाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना भिनाय के लिए रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाने के आस-पास अपनी उपस्थिति छीपाते हुए मुकिम हुए। समय करीब 12.05 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्स-एप कॉल परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आदान-प्रदान किये जाने का निर्धारित ईशारा किये जाने बाबत् अवगत करवाया गया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री युवराज सिंह स.उ.नि. मय दोनो स्वतन्त्र गवाह, श्री दिनेश फतनानी विडियोग्राफर के पुलिस थाना भिनाय के पास पहुचा तो पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति ई-मित्र की दुकान से पुलिस थाना भिनाय की तरफ जाता हुआ नजर आया, जिसके पीछे-पीछे श्री राजुराम कानि0, श्री सुरेन्द्र कुमार चलता हुआ नजर आया, उक्त वर्दीधारी कानि0 की नेम प्लेट पर अर्जुन लाल लिखा हुआ पाया गया, जिसे मन् निरीक्षक पुलिस ने एसीबी जाब्ते की मदद से हमराह लेकर थाने के सामने स्थित बालाजी ई-मित्र की दुकान पर पहुचे, जिसके बाहर परिवादी श्री सुरेश चन्द खड़ा मिला, जिससे वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया जाकर बंद कर सुरक्षित रखा गया। ई-मित्र की दुकान में परिवादी व वर्दीधारी कानि0 को लेकर प्रवेश किया, जहां एक व्यक्ति काले रंग की जॉकिट एवं जिंस पेंटे पहने हुए कम्प्यूटर के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। उक्त दोनो को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर इन दोनो का परिचय पूछा तो वर्दी पहने व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन लाल पुत्र श्री कल्याण सहाय उम्र 33 साल जाति मीना निवासी डांगरवाड़ा खुर्द पोस्ट लांगरियावास पुलिस थाना खोर जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर होना बताया एवं दुसरे व्यक्ति ई-मित्र संचालक ने अपना नाम विक्रम शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा उम्र 29 साल जाति ब्राह्मण निवासी तलाणा पोस्ट सोपरी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर हाल बालाजी ई-मित्र संचालक पुलिस थाने के सामने भिनाय होना बताया। इस पर श्री अर्जुन लाल कानि0 से रिश्वत के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि "ये मेरे पास आये थे। इन्होने विदेश भेजने के नाम से तीन को विदेश भेजा, इन्होने काम दुसरा बताया और उनको विदेश में दुसरे काम पर लगा दिया। फिर उनके घर वाले आये यहां पर उन्होने रिपोर्ट दी, इसको लेकर आये।" इस पर श्री अर्जुन को परिवाद जांच के बारे में पूछने पर बताया कि "परिवाद जांच मेरे पास है।"फिर परिवादी की और ईशारा कर बताया कि "इसको बिजयनगर थाने वालो ने पकड़ा था, वहां से इसको लेकर आये थे। उनको बुला लिया था और इसने उनका टिकट बुक करवा दिया, उनके पैसे भी दिये।" अर्जुन लाल कानि0 से पूछा कि किस चिज के पैसे दिलवाये, जिस पर बताया कि "मैने तो किसी को नही दिलवाये पैसे। 15 दिसम्बर को तीन हजार दिलाने का पूछने पर 13-14 दिसम्बर जयपुर जाना बताया। 19 दिसम्बर को थाने पर ही होना बताया। ई-मित्र संचालक को रूपये दिलवाने के संबंध में पूछने पर नही दिलवाना बताया तथा आज रूपये दिलवाने का पूछने पर नही दिलवाना बताया। ई-मित्र संचालक विकम शर्मा से परिवादी से 2000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबध में पूछा तो परिवादी की और ईशारा कर बताया कि मेरे से पैसा लेकर गये थे और अंगुठी देकर गये थे। करीब डेड महिने पहले 7000 रूपये लेकर गये थे। पहले तो इसने 3 दे दिये थे, फिर दो हजार रूपये और देकर गये, फिर काफी दिनो तक आये नही। अभी आज मैने तो अंगुठी रखी हुई थी और सौचा था कि आने पर रूपया लेकर वापस दे देंगे। आज 2000 रूपये लेने के संबंध में पूछने पर अपने पहने हुए जैकेट के बांये जेब में होना बताया तथा रूपये लेकर अंगुठी सुरेश चंद को देना बताया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि अभी मैं थोडी देर पहले थाने में जाकर श्री अर्जुन कानि0 से मिला व इनसे बात की तो यह मेरे साथ ई-मित्र की दुकान पर आये तथा ई-मित्र संचालक विक्रम शर्मा को कहा कि इनसे 2000 रूपये लेकर इनकी अंगुठी इनको दे देना, यह कहकर चले गये, उसके बाद विक्रम ने मेरे से 2000 रूपये लेकर मुझे अंगुठी दे दी, जो मेरे पास हैं। मैने अर्जुन के कहने पर ही रूपये दिये थे, पहले भी

2000 रूपये अर्जुन के कहने पर ही देना बताया तथा सारा ही लेन-देन इसके कहने पर हुआ। तत्पश्चात श्री विक्रम शर्मा ई-मित्र संचालक के हाथो के धोवण हेतु पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक के नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री विक्रम शर्मा के बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर आधा-आधा भरकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री विक्रम शर्मा के दाहिने हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमैला होना स्वीकार किया। इसके पश्चात् श्री विक्रम शर्मा ई-मित्र संचालक से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो अपनी पहनी हुई जैकेट की बांयी जेब में होना बताया, जिस पर श्री विक्रम शर्मा से उसकी जेब से रिश्वत राशि के 2000 रूपये निकालकर गवाह श्री राजेन्द्र महावर को दिलवाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 4 नोट कुल 2000 रूपये होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरो को मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना बताया। उक्त नोटो को गवाह श्री राजेन्द्र महावर के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक और पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री विक्रम शर्मा के की पहनी हुई जैकेट बरंग काला को उतरवाकर जैकेट की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग मटमेला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवण कोदो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों भरकर सुरक्षित रखा गया। श्री विक्रम शर्मा की जैकेट बरंग काला को हमराह लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री दिनेश फतनानी विडियोग्राफर से करवाई गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री अर्जुन लाल कानि0 एवं श्री विक्रम शर्मा ई-मित्र संचालक को हमराह लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना भिनाय के अन्दर पहुंच कर श्री अर्जुन लाल कानि0 के पास पहरा ड्यूटी हेतु कारतुस होने से मौजूद श्री गिरधारी सिंह सउनि को दिलवाते हुए कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर स्वागत कक्ष में अग्रिम कार्यवाही आरम्भ करते हुयेगवाह श्री राजेन्द्र महावर के पास सुरक्षित रिश्वत राशि 2000 रूपये का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी से पुनः करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द अनुसार हूबहू होना पाया गया। जिनका विवरण इस प्रकार हैं - क्र.सं. नोट का प्रकार नोट नम्बर 1 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5 CT 612822 2 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7 PN 280819 3 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6 AN 854829 4 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 8 GC 589506 उपरोक्त नोटो पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सीलकर शील्ड चिट कर, चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया जाकर मार्क एन अंकित किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विक्रश शर्मा के दाहिने एवं बांये हाथ के धोवण की चार शीशीयां, जो ट्रेपबॉक्स में पृथक-पृथक रखवायी गई थी को निकलवाकर सील्ड चिट कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर दाहिने हाथ की धोवण की शीशीयो को मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2 एवं दाहिने बांये हाथ के धोवण की शीशीयो पर मार्क एल.एच.-1, एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विक्रम शर्मा के जैकेट जिसकी बांयी जेब से रिश्वत राशि 2000 रूपये बरामद हुई थी, उक्त जैकेट की बांये जेब के धोवण की शीशीयो को सील्ड चिट किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क जे-1, जे-2 अंकित कर कब्जे एसीबी ली गई। उक्त काला रंग की जैकेट की बांयी जेब पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त जैकेट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क जे अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कि वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को चालू करके सुना गया तो आरोपीगण व परिवादी के मध्य वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रासंक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि0 को परिवादी के विरूद्ध दर्ज परिवाद के संबंध में पूछने पर बताया कि "श्री सुरेश चंद के विरूद्ध परिवाद श्री दीपक के पिता श्री सोहन रेगर निवासी गुढा कला, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर ने थाने में दिसम्बर माह में दिया था, जिसकी जांच मेरी बीट होने से मुझे दी गई थी। दिनांक 14.12.2024 को सोहन जी के अन्य लड़के सुरेश चंद को पुलिस थाना बिजयनगर में लेकर बैठे हुए थे ओर मेरे पास फोन आया तब मैं बिजयनगर थाना जाकर सुरेश चंद को लेकर भिनाय थाने पर आया था। मेरे सामने ही सुरेश चंद ने थाने से ही किसी को फोन करके दीपक, परमेश्वर, त्रिलोक तीनो के एयर टिकट बुक करवाकर वापस भारत बुलाने के लिए कह दिया था और सुबह 04.00 बजे मुम्बई एयरपोर्ट पर उक्त सभी आ गये थे। इसके बाद दिनांक 15.12.2024 को सुबह सुरेश चंद को फ्री करने की कहकर मैं हाईकोर्ट जयपुर चला गया था। परिवाद थाने में ही छोडकर गया था, किसको बताकर गया था, आज मुझे याद नही हैं।"उक्त परिवाद वर्तमान में कहां रखा हुआ है के संबंध में पूछने पर बताया कि मैं थाने में तलाश कर उपलब्ध करवा सकता हू, जिस पर आरोपी को साथ लेकर थाना, बैरिक इत्यादि जगह रिकार्ड में तलाश किया

गया परन्तु आरोपी को परिवाद नही मिला एवं अन्य पुलिस स्टॉफ को भी उक्त परिवाद नही मिला। थाने का रिकार्ड चैक किया गया तो परिवाद रजिस्टर में उक्त परिवाद का इन्द्राज नही होना पाया गया।"आरोपी श्री विक्रम शर्मा ई-मित्र संचालक के कक्ष में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की हार्ड डिस्क में घटना के समय एवं कार्यवाही के समय की रिकार्डिंग रिकार्ड होना पाया गया, जिसका पेन ड्राईव में कॉपी करने का प्रयास किया गया परन्तु कॉपी नही होने से मूल हार्ड डिस्क को बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी ली गई। आईन्दा हार्ड डिस्क से पैन ड्राईव तैयार किया जाकर हार्ड डिस्क को सील्ड किया जायेगा। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि0 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री सुरेश चंद के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में राजीनामा हो जाने पर शिकायत को बंद करने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी की सोने की अंगुठी आरोपी ई-मित्र संचालक श्री विक्रम शर्मा के पास रखवाना व वक्त सत्यापन दिनांक 19.12.2024 को परिवादी श्री सुरेश चंद से 4000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 2000 रूपये आरोपी श्री विक्रम शर्मा, ई-मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) को दिलवाना व दिनांक 29.01.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही 2000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि0 2670 द्वारा आरोपी श्री विक्रम शर्मा को दिलवाकर प्राप्त करना व आरोपी श्री विक्रम शर्मा द्वारा आरोपी श्री अर्जुन लाल कानि0 से मिलीभगत कर परिवादी श्री सुरेश चंद से 7000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की गरज से परिवादी की सोने की अंगुठी रखकर टूकडो-टूकडो में 7000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना व वक्त ट्रेप कार्यवाही 2000 रूपये रिष्वत राषि ग्रहण करना पाया गया, जो रिश्वत राशि आरोपी श्री विक्रम शर्मा के पहने हुए जैकेट की बांयी जेब से बरामद हुई। आरोपी श्री विक्रम शर्माके दाहिने हाथ एवं जैकेट के जेब के धोवण का रंग मटमैला एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का कारित करना पाया जाने पर आरोपीगण श्री अर्जुन लाल कानि0 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर एवं श्री विक्रम शर्मा बालाजी ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेन-देन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं पेन ड्राईव तैयार किये गये। अतः आरोपीगण श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री कल्याण सहाय उम्र 33 साल जाति मीना निवासी डांगरवाड़ा खुर्द पोस्ट लांगरियावास पुलिस थाना खोर जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर एवं श्री विक्रम शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा उम्र 29 साल जाति ब्राह्मण निवासी तलाणा पोस्ट सोपरी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर हाल बालाजी ई-मित्र संचालक पुलिस थाने के सामने भिनाय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (दीनदयाल वैष्णव) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल वैष्णव, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री कल्याण सहाय उम्र 33 साल जाति मीना निवासी डांगरवाड़ा खुर्द पोस्ट लांगरियावास पुलिस थाना खोर जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि0 2670 पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर एवं श्री विक्रम शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा उम्र 29 साल जाति ब्राह्मण निवासी तलाणा पोस्ट सोपरी, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर हाल बालाजी ई-मित्र संचालक पुलिस थाने के सामने भिनाय के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान र्इन्टें अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 557 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 103-06 दिनांक 31.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. पुलिस अधीक्षक अजमेर 3. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/01/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/12/1991				
2	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)